रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 138]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 15, 2018/फाल्गुन 24, 1939
No. 138]	NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 15, 2018/PHALGUNA 24, 1939

संस्कृति मंत्रालय
(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2018

सा.का.नि. 228(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम, 1995 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में, प्रशासनिक अधिकारी के पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, प्रशासनिक अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर: - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अहर्ताएं, आदि : - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, ; या संविदा की है।

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रशासनिक अधिकारी।	20*(2018) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित अनुसचिवीय।	स्तर - 7 (44900 - 142400 रु.)	चयन पद।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति: ऐसे कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 सहित इस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और जिन्होंने प्रशासनिक, सतर्कता और लेखा संबंधी मामलों में चार सप्ताहों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति :** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधिकारी: (क) (I) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; या (II) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स अथवा समतुल्य में स्तर-6 में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नानुसार शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों: (I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री। (II) सरकारी कार्यालय अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रम अथवा स्वायत्त

	निकाय अथवा कानूनी निकाय में लेखा, प्रशासन, स्थापना संबंधी कार्य में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग में ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्त की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में नियुक्त ठीक पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्त द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी क्या संरचना है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में शामिल हैं:- 1. अपर महानिदेशक (प्रशासन) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – अध्यक्ष 2. संयुक्त महानिदेशक (पुरातत्व) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य 3. निदेशक (प्रशासन) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. 3-4/2016-योजना एवं एचआरडी (भर्ती नियम)]

राकेश सिंह लाल, अपर महानिदेशक (प्रशासन)

MINISTRY OF CULTURE

(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2018

G.S.R. 228(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Archaeological Survey of India (Administrative Officer) Recruitment Rules, 1995, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Administrative Officer in the Archeological Survey of India, Ministry of Culture, namely:---

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Culture, Archeological Survey of India, Administrative Officer (Group 'B' post), Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of the said post, its classification and Level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.—The method of recruitment to the post, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.— No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such and other party to the marriage and there are other ground for doing so, exempt person from the operation to this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Post	Classification	Level in the Pay Matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Administrative Officer	20*(2018) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'B', Gazetted Ministerial	Level 7 (Rs.44900-142400)

Whether Selection or Non-Selection Post	Age Limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct Recruits
(5)	(6)	(7)
Selection post	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualification prescribed for direct Recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By Promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by Promotion or Deputation/absorption, grades from which Promotion or Deputation/absorption to be made.
(11)
Promotion: Junior Administrative Officer in Level 6 in the Pay matrix with five years' of regular service in the grade and have successfully completed four weeks training in Administration, Vigilance and Accounts matters. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central Government or State Government or Union territory administration: (A) (I) Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (II) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level-6 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (B) Possessing the following educational qualification and experience. (I) Degree from a recognised university or institute. (II) Two years experience in Accounts, Administration, Establishment work in a Government Office or Public Sector Undertaking or Autonomous body or Statutory body.

Note: 1 The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note:** 2 (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications).

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public service commission to be consulted in making Recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion committee (for considering promotion) consisting of: 1. Additional Director General (Administration), Archaeological Survey of India - Chairman 2. Joint Director General (Archaeology), Archaeological Survey of India - Member 3. Director (Administration) Archaeological Survey of India - Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 3-4/2016-Plg & HRD (RR)]

RAKESH SINGH LAL, Addl. Director General (Administration)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.03.15 15:29:09 +05'30'